राजस्थान सरकार
देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक: प॰ 15(28)राज/3/85   जयपुर, दिनांक: 18.6.92

आदेश

राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा जो मंदिर/पूजा स्थल स्थित है उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है:-

1. संबंधित उपखण्ड अधिकारी	संयोजक
2. संबंधित तहसीलदार	सदस्य
3. संबंधित विकास अधिकारी	सदस्य
4. क्षेत्रिय विधायक	सदस्य
5. प्रधान पंचायत समिति	सदस्य
6. आयुक्त, देवस्थान द्वारा मनोनीत तहसील में स्थित किसी बडे मंदिर का महन्त	सदस्य
7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो गैर सरकारी सदस्य	सदस्य

समिति द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाने है:-

1. ग्रामीण अंचलों में स्थित विभिन्न गांवों में धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण नाजायज कब्जे और अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना तथा उन्हें मुक्त कराना।
2. धार्मिक स्थलों का स्थानीय व्यक्तियों की आस्था और विश्वास के अनुरूप संरक्षण और विकास।
3. धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबंध इस भूमि की समय समय पर उचित व्यक्तियों को काश्त के लिये अथवा उचित कार्य हेतु अस्थायी रूप से आवंटित करना और प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबंध [illegible] धार्मिक आयोजनों में उचित ढंग से लगाना एवं मंदिर का समुचित विकास करना।
4. धार्मिक स्थलों के विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करना।
5. धार्मिक स्थलों पर परम्परा और आस्था अनुसार पुजारियों व अन्य कर्मचारियों का प्रबंध करना।

उक्त समिति की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है। बैठक में 5 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होगा। संबंधित सहायक आयुक्त एवं निरीक्षक, देवस्थान भी बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग ले सकेंगे। बैठक की कार्यवाही की सूचना संबंधित सहायक आयुक्तों को अविलम्ब भेजी जावेगी।

आज्ञा से,

ह॰

(आर॰एस॰ कूमठ)